



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर आपराधिक कृत्य हेतु घर में सेंध लगाने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलायी गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 2112/2013 धारा-459 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मुन्नीलाल पुत्र सीताराम नि० रैपुरा थाना जसपुरा जनपद बांदा हालपता चांदथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को धारा-457 भा०द०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री राजेश
कुमार तिवारी



विवेचक-
उ०नि० पुरुषोत्तम
नारायण तिवारी



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का० जगत सिंह